UPBN010042202026

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट,न्यायालय सं०–2,बदायूँ।

Bail Application-1585 / 2026

मंजीत पुत्र रञ्जन,

निवासी ग्राम मीरा सराय गिहार बस्ती, थाना–सिविल लाइन, जिला–बदायूँ।

बनाम

उ०प्र० राज्य

मु०अ०सं०–602/2025

धारा–331 (4), 305(a), 317 (2) B.N.S.

थाना–सिविल लाइन, जिला–बदायूँ।

दिनांकः 01–07–2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त **मंजीत पुत्र रञ्जन** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र, मु०अ०सं०–602/2025, अन्तर्गत धारा–331 (4), 305(a), 317 (2) B.N.S. थाना–सिविल लाइन, जिला–बदायूँ में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संक्षेप में अभियेाजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राम मोहन सिंह पुत्र केदार सिंह निवासी मो० चित्रांशनगर थाना सिविल लाइन, की ओर से थाना पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है कि दिनांक 22/23–11–2025 की रात्रि में वह अपने परिवार सहित गांव पिथरा फदनगोपाल थाना रामपुर कारखाना, जिला देवरिया गया था। आज दिनांक 24–11–2025 को वह बापस आया तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है व सामान इधर–उधर पडा है, अभी घर में से क्या सामान गया है, मुझे जानकारी नहीं है। घर का सामान देखकर कि क्या–क्या चोरी हुआ है, मैं आपको पृथक से अवगत करा दूँगा। उसके पडोस में महेश चन्द्र सक्सेना जी के घर में भी चोरी हुई है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाये।

3– वादी मुकदमा की सूचना पर थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूँ पर धारा–305(a), 331(4) बी०एन०एस० के तहत, अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्त मंजीत व मनीष का नाम प्रकाश में आया तथा चोरी का माल अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद होने पर प्रस्तुत प्रकरण में धारा–317 (2) B.N.S. की बढोत्तरी की गयी।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि उक्त वाद में प्रार्थी / अभियुक्त दिनांक 18–02–2026 से जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध है। उक्त वाद की एफ.आई.आर. अज्ञात में दर्ज है। एफ.आई.आर. लगभग 22 दिन विलम्ब से दर्ज है। उक्त वाद में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा व साजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी पर दर्शायी गयी रिकवरी पूर्णतया फर्जी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। वह अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6– मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

7– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि वादी मुकदमा की ओर से थाना सिविल लाइन पर अज्ञात में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। दौरान विवेचना दिनांक 18–02–2026 को अभियुक्त मंजीत व सह अभियुक्त मनीष को गिरफ्तार किया गया है एवं गिरफ्तारी के समय अभियुक्तगण के कब्जे से 35000/– रूपये व एक जोडी बाली पीली धातु की बरामद होना दर्शित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर रात्रि के दौरान वादी मुकदमा के घर में घुसकर चोरी की गयी तथा दौरान विवेचना अभियुक्त व सह अभियुक्त के कब्जे से थाना पुलिस द्वारा चोरी से सम्बधित रूपये व एक जोडी बाली पीली धातु की बरामद की गयी है। थाना सिविल लाइन से प्राप्त आख्या अनुसार इस अपराध के अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध पांच अन्य मामले थाना हाजा पर दर्ज हैं, जिनमें समान प्रकृति के मामले भी हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की सक्रिय भूमिका होना दर्शित किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **मंजीत** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त कारणों सहित **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः 01.07.2026

(नीरज कुमार गर्ग)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
न्यायालय संख्या–2, बदायूँ।
J.O.Code No.– UP 01624